न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी :– भूपेन्द्र कुमार यादव आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 01/2019 अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

अनवान.

अपीलान्टः–1.सुखराम पुत्र डुंगराराम , 2.हेमाराम पुत्र भीखाराम, 3. वीरमाराम पुत्र भीखाराम, 4.मु. अमरू बैवा भीखाराम, 5. मोहनलाल पुत्र रघुनाथ, 6. राजूराम पुत्र रघुनाथ, 7. रूखमणी पत्नी रघुनाथ , जातियान– विश्नोई , निवासीगण – सरनाऊ, तहसील– सांचौर , जिला– जालोर(राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट्सः–1.सरपंच ग्राम पंचायत सरनाऊ,पं.सं. सांचौर, 2.राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार–सांचौर, 3. गवरी पत्नी भाखराराम जाति–पिश्नोई निवासी–सरनाऊ तहसील–सांचौर, 4. भाखराराम पुत्र डुंगराराम नि.सरनाऊ।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स :– श्री जालाराम पूनिया

निर्णय

दिनांक 25.08.2020

अपीलान्ट्स द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 इस प्रकार पेश किया कि ग्राम सरनाऊ पटवार हल्का सरनाऊ में अपीलान्ट सुखराम के भाई हरूराम के नाम से खसरा नम्बर 506 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नम्बर 507 रकबा 0.03 हैक्टर, ,खसरा नम्बर 509 रकबा 3.37 हैक्टर, ,खसरा नम्बर 510 रकबा 1.19 हैक्टर, ,खसरा नम्बर 511 रकबा 0.28 हैक्टर, ,खसरा नम्बर 513 रकबा 2.85 हैक्टर, ,खसरा नम्बर 508 रकबा 4.85 हैक्टर, ,खसरा नम्बर 89 रकबा 4.08 हैक्टर, ,खसरा नम्बर 90 रकबा 2.05 हैक्टर, ,खसरा नम्बर 239 रकबा 0.87 हैक्टर, ,खसरा नम्बर 240 रकबा 0.48 हैक्टर, ,खसरा नम्बर 257/1431 रकबा 0.27 हैक्टर का आया हुआ है, अपीलान्ट सं.1 व 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा व अपीलान्ट सं. 3 से 8 का 1/4 हिस्से पुश्तैनी हक व स्व. हरू के 1/4 हिस्से की भूमि में अपीलान्ट सं.1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा व अपीलान्ट सं. 3 से 8 का 1/3 हिस्सा मालिकाना हक, कब्जा काश्त का व कानूनी हिस्सा आता है। अपीलान्ट सुखराम के भाई स्व.हरूराम पुत्र डूंगरा सन् 1987 के आस– पास फौत हो गये थे। जिनका फौदगी नामान्तरण हल्का पटवारी सरनाऊ द्वारा स्व. हरूराम के तमाम् वारिशो की जांच पडताल किये बिना गैर कानूनी तरीके से गवरी को वारिश बताकर नामान्तरण प्रस्तावित कर दिया जबकि स्व.हरूराम के गवरी विधिक वारिश

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.04 13:08:02 IST
Reason: SelfAttested

नही थी , हिन्दू उत्तराधिकारी अधि. मे विहित द्वितीय श्रेणी के वारिश अपीलान्ट होने से उसके बावजुद भी अपने हक हकूको से वंचित करने के लिए हल्का पटवारी नें मिलावट कर बिना जांच पडताल किये गवरी के नाम से नामान्तरण प्रस्तावित कर दिया । तत्पश्चात् भू निरीक्षक सरनाऊ नें भी स्व. हरूराम के तमाम् सम्पूर्ण वारिशो की जांच किये बिना, यांत्रिक तरीके से टिप्पणी कर दी तथा सरपंच ग्राम पंचायत सरनाऊ जो स्व.हरूराम के जाईन्दा भाई होने से इन्हे जानकारी होते हुए भी बिना कोई जांच पडताल किये ग्राम पंचायत के आम बैठक में प्रस्ताव लिये बिना नामान्तरण की पत्रावली संधारित किये बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना गवरी को नाजायज फायदा पहुंचाने के आशय से व सहायक कलेक्टर सांचौर की अदालत में नियमित दावा विचाराधीन था तथा राजस्व अदालत से दिनांक 22.09.2015 को स्थगत आदेश भी जारी हो चुका था , उसके बावजुद भी विधि विरूद्व रूप से ग्राम पंचायत सरनाऊ द्वारा नामान्तरण आदेश विधि विरूद्व होने से हर सुरत में निरस्त योग्य है । जिसके विरूद्व निम्न आधारो पर अपील अपीलरन्ट प्रस्तुत है–

अपीलाधीन आराजी के स्व.हरूराम के फौत होने पर उनके तीनो सगे भाई भाखराराम, सुखराम व स्व. भीखाराम के वारिश अपीलान्ट्स हरूराम के हिस्से की भूमि का सार संभाल करते आ रहे है तथा रेस्पोडेन्ट गवरी कभी भी स्व. हरूराम की विवाहिता पत्नी नही रही , गवरी भाखराराम पुत्र डूंगरा की पत्नी रही है । उसके बावजुद भी हरूराम के नाऔलाद अविवाहित फौत होने पर फौदगी नामान्तरण भरते समय हल्का पटवारी नें वारिशो की बिना जांच पडताल किये बिना पिधिक प्रकिया अपनाए नामान्तरण पारित करनें में विधि एवं वाक्याती भारी भूल की है।जिसे अपीलाधीन नामान्तरण हर सुरत में निरस्त किये जाने योग्य है। सुविधा के लिहाज से समझने के लिए स्व. हरूराम के खानदान की व विधिक वारिशो की वंशावली निम्न प्रस्तुत है–

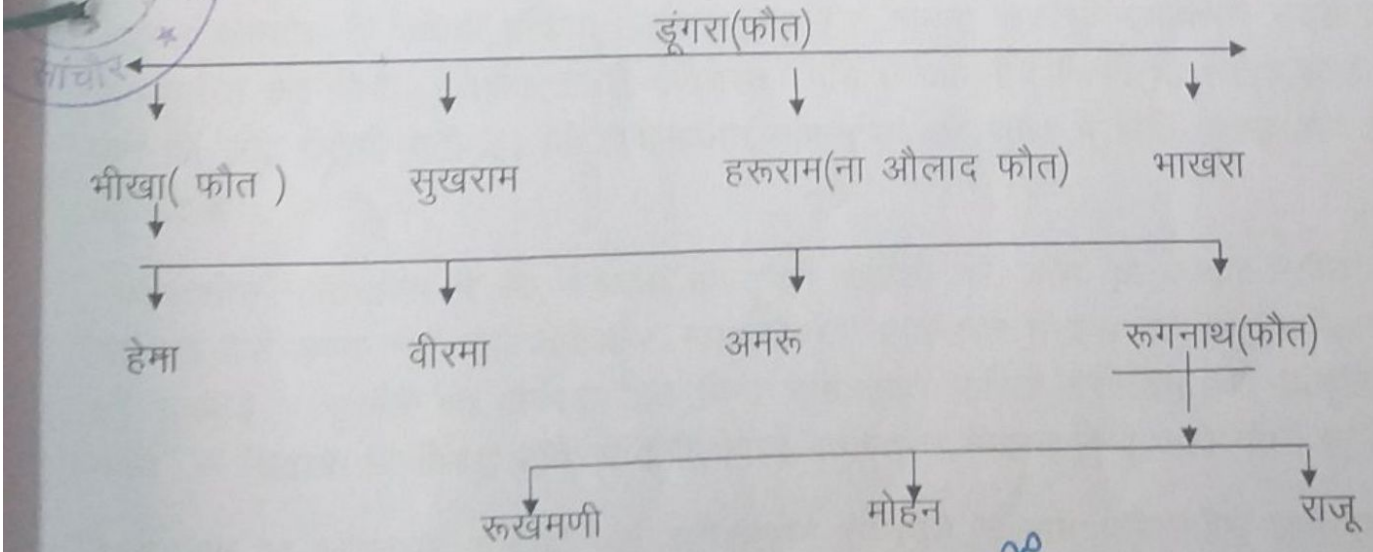

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.04 13:08:02 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त वंशावली अनुसार स्व.हरूराम के विधिक वारिश अपीलान्ट्स है , गवरी स्व. हरूराम की कभी विवाहित पत्नी नही रही , कभी उनके जीवनकाल में पत्नी की हैसियत से साथ नही रही , तथा गवरी नें स्व. हरूराम के साथ हिन्दू अधिनियम के प्रावधानोनुसार अनुसार शादी नही की ।गवरी भाखरा की विवाहिता पत्नी रही है , जो भारत निर्वाचन सूची सन् 1986 की , राजस्थान निर्वाचन नामावली सन् 2014 इत्यादि सबुतो से साबित है कि गवरी भाखरा की पत्नी रही है , स्व. हरूराम की कभी पत्नी नही रही है। माननीय सहायक कलेक्टर सांचौर के सक्षम राजस्व अदालत में दावा विचारालधीन है, दावे में उक्त विवादित प्रश्न का निर्धारण होना शेष था , तथा सक्षम राजस्व न्यायालय से स्थगन आदेश था , स्थगन आदेश अनुसार वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड फेर बदल नही करना कानूनी बाध्यता थी , स्थगन आदेश की प्रति दिनांक 05.10.2015 को तहसीलदार सांचौर को दे दी गई थी , जिसका प्राप्ति रसीद भी पेश है । उसके बावजुद भी हल्का पटवारी नें रेस्पोडेन्ट से मिलावट कर नाजायज फायदा पहुचाने के आशय से जांच किये बिना नामान्तरण विधि विरूद्व होने से हर खारिज योग्य है।

अपीलाधीन नामान्तरण पारित करते समय ग्राम पंचायत के सापंच नें मिलावट कर अपीलान्ट की भूमि को खुर्द–बुर्द करने व करवाने के आशय से अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरण पत्रावली संधारण किये बिना, आम ग्राम पंचायत की बैठक बुलाये बिना अपीलाधीन नामान्तरण पारित करनें में विधि एवं वाक्याती भारी भूल की है जो अपीलाधीन नामान्तरण हर सूरत में खारीज योग्य है ।

अपीलाधीन नामान्तरण पारित करते वक्त स्व. हरूराम के गवरी विधिक पत्नी नही होते हुए भी उनके निकटतम् वारिश सगे भाई अपीलान्ट मौजुद होते हुए भी अपीलान्टस तमाम् वारिशो के नाम फौतगी नामान्तरण में नाम दर्ज कानूनीय करना था , जो नही करनें का कोई कारण फौतगी नामान्तरण में दर्ज नही कर गवरी के नाम गैर कानूनी इन्द्राज कर अपीलान्ट को अपने हिस्से की भूमि से वंचित करनें के आशय से गैर कानूनी रूप से फौतगी नामान्तरण में नाम दर्ज कर अवैध व गैर कानूनी रूप से नामान्तरण दर्ज कर ग्राम पंचायत सरनाऊ नें विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना गैर कानूनी रूप से नामान्तरण गवरी के नाम पारित कर दिया , जबकि गवरी वादग्रस्त भूमि में कानूनीय किसी भी प्रकार से हक पानें की अधिकारीणी नही है। जो अपीलाधीन नामान्तरण हर सुरत में विधि विरूद्व होने से खारिज है।

अपीलाधीन नागान्तरण में स्व. हरूराम के तमाम् वारिशो की जांच की जाकर अपीलान्ट का नाम दर्ज करना था , जो अपीलान्ट नाम फौदगी नामान्तरण में दर्ज नही कर अपीलान्ट को सुनवाई व सुचना का अवसर दिये बिना नामान्तरण पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने से अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है ।

स्व.हरूराम का अपीलान्ट जाईन्दा भाई वारिश होने से गवरी के नाम अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत कर उनके विधि सम्मत अधिकारो के हको पर कुठाराघात किया गया है जो कतई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.04 13:08:02 IST
Reason: SelfAttested

विधि सम्मत नही है । ऐसे स्वीकृत नामान्तरण को कानून कतई सरक्षण नही देता है । तथा ग्राम पंचायत सरनाऊ नें अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत करते वक्त किसी प्रकार की जांच नही की । ग्राम पंचायत की आम बैठक नही बुलाकर विधि सम्मत प्रस्ताव पारित नही किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत करनें कोई विधिक प्रक्रिया नही अपनाई । जिससे अपीलाधीन नामान्तरण विधि सम्मत नही होने व विधि के सिद्वान्तों के विपरित जाकर नामान्तरण पारित करनें में विधि एवं वाक्याती भारी भूल की है । जो हर सुरत में अपीलाधीन नामान्तरण विधि सम्मत नही होने से अस्वीकृत योग्य है।

विधि विरूद्व पारित नामान्तरण का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट गवरी के वृद्व अवस्था का भी नाजायज फायदा लेकर वादग्रस्त भूमि का हकतर्कनामा , बैचान , दानपत्र अवैध व गैर कानूनी रूप से करवाना चाहते है। जिससे दिनांक 28.01.2019 को रेस्पोडेन्ट गवरी गिरोह बनाकर मौके पर कब्जा करने व ट्रेक्टर लेकर खेती करनें आये तथा कहा कि उक्त भूमि का नामान्तरण मेरे नाम हो गया है कब्जा खाली करो। तब अपीलान्टस नें कहा कि स्थगन आदेश है , नामान्तरण केसे हो गया , तब अपीलान्टस मोहनलाल नें तहसीलदार सांचौर को कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2019 को पेश किया , जिस पर तहसीलदार सांचौर नें अपने पत्र क्रमांक 312 व 313 दिनांक 29.01.2019 को स्थगन आदेश के उपरान्त अपीलाधीन नामान्तरण की कार्यवाही क्यों सम्पादित की , इसके बारे मे जांच कर रिपोर्ट करने के आदेश भू निरिक्षक सरनाऊ व हल्का पटवारी सरनाऊ को जारी किया गया । लेकिन उसके बावजूद भी अपीलाधीन नामान्तरण को निरस्त नही किया गया । नामान्तरण नकल हल्का पटवारी से दिनांक 31.01.2019 को लेने से अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत किये जाने की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी । जानकारी की तारिख से अपील निर्धारित अन्दर म्याद में पेश है । तथा अपील को अन्दर म्याद सुमार करनें हेतू अलग से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधि. का प्रार्थना पत्र मंय शपथ पत्र के साथ पेश है। हांलाकि विधि विरूद्व पारित नामान्तरण अवैध व शून्य है । जिससे म्याद का बिन्दू लागू नही होता है ।

अतः अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन नामान्तरणकरण 883 दिनांक 5.12.2018 को विधि विरूद्व रूप से ग्राम पंचायत सरनाऊ का पारित आदेश अपास्त फरमावें तथा अपीलाधीन नातान्तरणकरण संख्या 883 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें तथा मृतक खातेदार हरूराम के सम्पूर्ण वारिशान अपीलान्ट के नाम से नामान्तरणकरण दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अपीलास्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम इस प्रकार पेश किया कि स्वर्गीय हरूराम का फौदगी नामान्तरणकरण हल्का पटवारी सरनाऊ द्वारा स्व. हरूराम के तमाम वारिश अपीलान्ट्स होते हुए भी उनकी जांच पडताल किये बिना गैर कानूनी तरिके से गवरी को वारिश बताकर नामान्तरण प्रस्तावित कर दिया , जबकि गवरी स्व.हरूराम की पत्नी नही रही , गवरी रेस्पो[illegible] है उसके बावजुद भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.04 13:08:02 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट अपने हक हकूको से वंचित करने के लिए हल्का पटवारी ने मिलावट कर बिना जांच पड़ताल किये गवरी के नाम से नामान्तरण प्रस्तावित कर दिया। तत्पश्चात भू निरीक्षक सरनाऊ ने भी स्व हरूराम के तमाम् अपीलान्टस सम्पूर्ण वारिशो की जांच किये बिना यांत्रिक तरिके से टिप्पणी कर दी, तथा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सरनाऊ नें बिना कोई जांच पडताल किये ग्राम पंचायत की आम बैठक में प्रस्ताव लिये बिना नामान्तरण की पत्रावली संधारित किये बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना गवरी को नाजायज फायदा पंहुचाने के आशय से विधि विरूद्ध रूप से नामान्तरण पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट का गिरोह दिनांक 28.01.2019 को मौके पर कब्जा करने आये तथा अपीलान्ट का कब्जा खाली करने की ऐलानियां धमकियां दी, जिससे अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सांचौर को दिनांक 29.01.2019 को प्रार्थना पेश किया कि वादग्रस्त भूमि का सक्षम राजस्व न्यायालय सांचौर द्वारा स्थगन आदेश होते हुए भी नामान्तरण पारित कर दिया। जिस पर तहसीलदार सांचौर नें हल्का पटवारी से पत्र जारी कर कारण भी पुछा गया। लेकिन कोई पुख्ता कार्यवाही नही होने पर अपीलान्ट नें हल्का पटवारी से दिनांक 31.01.2019 को नकल इत्यादि लेने से प्रथम बार जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट अपीलान्ट को जानकारी नही थी। ऐसी सुरत में सदभावी रूप से अपीलाधीन नामान्तरण पारित करनें में प्रथम बार नकलें इत्यादि लेने से जानकारी हुई। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के जानकारी के अभाव में आदिनांक अपील प्रस्तुत करनें में हुई देरी प्रार्थीगण के मानवीय नियंत्रण से परे होने के कारण उक्त संतोषजनक कारण के आधार पर अपील अन्दर म्याद सुमार किया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना पत्र मयं शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की अपील उपरोक्त विनाय पर जानकारी की तारीख से अन्दर म्याद सुमार मानकर डिले कन्डोन किये जाने का सलूक फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। बावजूद उचित रीति से तामील के रेस्पोडेन्ट के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर बहस अपीलान्टस सुनी गई, मुताबिक अपीलान्टस ग्राम पंचायत नें अपीलान्टस को सुने बिना ही नामान्तरण विधि विरूद्ध तरिके से पारित किया है तथा इनके बाद नकल इत्यादि देने में जानबुझकर देरी की गई। जानकारी में आते ही अपीलान्टस द्वारा अपील पेश की गई है। अतः अपील पेश करनें में हुई देरी क्षम्य है। नामान्तरकरण 883 दिनांक 05.12.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा पारित नामान्तरण की जानकारी होते ही अपील दिनांक 13.02.2019 को प्रस्तुत की गई है, अतः प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 5 स्वीकार किया जाकर अपील पेश करनें में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.04 13:08:02 IST
Reason: SelfAttested

मूल अपील पर अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस सुनी गई, जिसमें अधिवक्ता नें अपील में वर्णित बिन्दूओ को दोहराया पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत सजरे के अनुसार डूंगरा के चार पुत्र भीखा, सुखराम, हरू एवं भाखरा थे, जिनमे से हरू के फौत होने के बाद उसके वारिसान के नाम हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नामान्तरकरण भरा जाना था। अपीलान्टस के अनुसार हरू ना औलाद फौत होने से शेष तीनो भाईयो या उनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण भरा जाना था, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना गवरी के नाम नामान्तरकरण भर दिया गया। जो कि इसकी पत्नी नही है । नामान्तरणकरण संख्या 883 में जिस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर फौतगी नामान्तरण भरा जाना वर्णित है। वह ग्राम पंचायत द्वारा जारी गया है प्रपत्र पी. 21 कॉलम संख्या 14 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 20.11.2018 के आधार पर गवरी देवी को हरूराम की पत्नी मानकर नामान्तकरण भरा गया उस तथाकथित उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को जारी करने की अधिकारिता ही ग्राम पंचायत को नहीं है । साथ ही गवरी हरूराम की पत्नी है अथवा नहीं एवं हरू के अन्य भाइयों का उसकी सम्पत्ति पर किस प्रकार अधिकार है इस विषय पर ग्राम पंचायत ने सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित किया है । जो न्यायोचित नहीं है अतः ग्राम पंचायत सरनाऊ द्वारा पारित नामान्तरण आदेश 883 दिनांक 05.12.2019 निरस्त करने योग्य है। इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा पारित उक्त नामान्तरण को निरस्त कर तहसीलदार सांचौर को आदेश दिये जाते है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर देते हुए आराजी मुतनाजा पर खातेदार हरू के विधिक वारिसान के नाम पुनः नामान्तरण आदेश पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

25.8.2020

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

पत्रावली फैसल शुमार होकर एवं नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.04 13:08:02 IST
Reason: SelfAttested